

## घोषणा पत्र

(इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमति .....  
पुत्री/पत्नी ..... गांव ..... डाकघर .....  
तहसील ..... जिला ..... हिमाचल प्रदेश की स्थाई  
निवासी हूं तथा मैं या मेरे परिवार से कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के  
कर्मचारी पेंशनर, अनुबंध आउटसोर्स / दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक इत्यादि वर्ग  
के कर्मचारी सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाये, मानदेय प्राप्ता आंगनबाड़ी  
कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक  
सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी  
केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड काउंसिल एजेंसी  
में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु व सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता  
इत्यादि नहीं हैं। यदि उपरोक्त जानकारी गलत पायी जाती है तो इसके लिये मैं  
स्वयं जिम्मेदार हूं ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी / श्रीमति .....  
पुत्री/पत्नी ..... गांव ..... डाकघर .....  
तहसील ..... जिला ..... हिमाचल प्रदेश की निवासी है। आवेदिका  
या उसके परिवार का कोई भी सदस्य उपरोक्त लिखित किसी भी श्रेणी/योजना  
का लाभ नहीं ले रहा है।

कार्यकारी अधिकारी/पंचायत सचिव।